ठगी | जेल प्रहरियों समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गैस एजेंसी का लायसेंस दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी

मंत्रियों से पहचान का दम दिखा जेल प्रहरी से 19 लाख हड़पे

नवभारत, जबलपुर। सिविल लाइन निवासी जेल प्रहरी को दो जेल प्रहरियों समेत दो अन्य ने मंत्रियों से पहचान का दम दिखाकर गैस एजेंसी का लायसेंस दिलवाने के नाम पर 19 लाख रूपए हड़प लिए। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दो जेल प्रहरियों समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक धीरेन्द्र द्विवेदी 36 वर्ष निवासी क्वार्टर न.8 जेल लाईन सिविल लाईन के जेल में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ थे जहां पर जितेन्द्र सिंह धाकड़ भी जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ था। जिसने धीरेन्द्र को लालच देकर बोला था कि कब तक जेल की नौकरी करोंगे मैं तुम्हें अपने दोस्तों के माध्यम से गैस एजेंसी का लायसेंस देकर गैस ऐजेन्सी खुलवा देता दूंगा। जिसके लिये पैसे खर्च

करने पड़ेंगे। मेरा दोस्त अनिल शर्मा है जो भूतपूर्व सैनिक है और केन्द्रीय जेल सतना में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ है। जिसको पेट्रोल पंप का लायसेंस मिल गया है उसकी मंत्रियों तक पहचान है। धीरेन्द्र बातों में आ गया और पत्नी निशा द्विवेदी के नाम से गैस एजेंसी दिलाने की बात की। इसके बाद जीतेन्द्र धाकड के खाते में आनलाईन 1 लाख 95 हजार रूपये का ट्रान्जेक्शन किया और अपने दोस्तों के माध्यम से भी कराया। इसके बाद वभिन्न तारीखों पर लगभग 18 से 19 लाख रूपये रिश्तेदारों से लेकर ऑनलाईन ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन लायसेंस नहीं बना। इस फर्जीवाड़े को लेकर धीरेन्द्र द्विवेदी की पत्नी निशा द्विवेदी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपित जेल प्रहरी जितेन्द्र सिंह धाकड, जेल प्रहरी अनिल शर्मा, अन्य योगेश मिश्रा पिता रामकृष्ण मिश्रा निवासी सतना, मूर्ति मिश्रा पति रामकृष्ण मिश्रा निवासी सतना के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

मंत्रालय-सचिवालय तक पकड़ का दिया झांसा

कई दिनों बाद जब पीड़ित ने जितेन्द्र धाकड से बोला कि पैसे तो ले लिये हो एजेंसी कब खुलवा रहे हो जीतेन्द्र द्वारा अनिल का मोबाइल नंबर दिया और बात कराया। अनिल द्वारा बोला गया कि योगेश मिश्रा द्वारा पेट्रोल पंप का लायसेंस बनवाकर दिया गया है तुम्हारा गैस एजेन्सी का काम भी योगेश मिश्रा के माध्यम से ही होगा। उनकी मंत्रालय और सचिवालय में अच्छी पकड़ है जिसके बाद योगेश मिश्रा से कान्फ्रेन्स कॉल में बात करवाई। अनिल द्वारा योगेश मिश्रा से बात कराई तो कहा कि पत्नि के नाम पर गैस ऐजेन्सी का लायसेंस दिलवा देता हूं क्योंकि उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी मिलती है उसके हिसाब से 25 से 30 लाख रूपये में आपको एजेन्सी दिलवा दूंगा। जिसकी बात मानते हुये धीरेन्द्र के द्वारा योगेश मिश्रा और अनिल शर्मा को लायसेंस लेने के लिये बोल दिया।

12 पन्नों में कराये साइन, खातों में ट्रांसफर करवाई रकम

पीड़ित के मुताबिक अनिल ने योगेन्द्र को उसके घर फार्म लेकर भेजा था। योगेन्द्र ने कहा कि संपूर्ण पैसों का लेखा जोखा मां रखती है। आपके पैसे कही नहीं जायेंगे सुरक्षित रहेंगे एवं आपका काम जल्द ही हो जायेगा। 10 से 12 कागज के पन्नों पर उसके साइन भी कराये थे। योगेश मिश्रा के कहे अनुसार उनकी मां मूर्ति मिश्रा के दो खातों में विभिन्न तारीखों पर लगभग 18 से 19 लाख रूपये रिश्तेदारों से लेकर ऑनलाईन ट्रांसफर कर दिए थे।

दबाव बनाने पर फर्जी लायसेंस थमाया

19 लाख रूपए जाम करने के बाद भी जब लायसेंस नहीं मिला तो धीरेन्द्र ने दबाव बनाया। जिसके बाद योगेश मिश्रा द्वारा गैस ऐजेन्सी का लायसेंस नंबर एवं ऐजेन्सी का प्रमाण पत्र दिया गया परंतु कुछ समय पश्चात धीरेन्द्र ने विभिन्न गैस एजेन्सियों में जाकर पतासाजी करते हुए जांच की तो पता चला यह लायसेंस फर्जी है।

पांच समितियों के प्रबंधकों व ऑपरेटरों पर होगी कार्रवाई

धान उपार्जन में अनियमितता को लेकर जिला उपार्जन समिति ने की सिफारिश

नवभारत, जबलपुर। धान उपार्जन कार्य में अनियमितताओं की शिकायतों पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य, कृषि और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने खरीदी केंद्रों की आकस्मिक जांच की। जांच में गड़बड़ियां पाए जाने पर जिला उपार्जन समिति ने पांच समितियों के प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और आर्थिक दंड लगाने का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा है।जिला उपार्जन समिति ने स्पष्ट किया है कि उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जानकारी के अनुसार मझौली तहसील के सेवा सहकारी समिति सहजपुरा द्वारा संचालित हनुमते वेयरहाउस चन्नौटा के प्रभारी रवि श्रीवास्तव और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास खरे के खिलाफ कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इस समिति के कमीशन में से पांच प्रतिशत राशि की कटौती भी निर्णयित की गई है। कुंडम तहसील में सेवा सहकारी समिति गौरी के वाधवा वेयरहाउस टिकरिया केंद्र में अनियमितताओं के लिए समिति प्रबंधक संतोष पांडेय और केंद्र प्रभारी धनीराम साहू के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। वहीं, किसान नितिन राय द्वारा स्लॉट बुकिंग से पहले धान लाने पर उन्हें अगले तीन वर्षों तक उपार्जन के लाभ से वंचित कर दिया गया।

पाटन और पनागर में भी गड़बड़ी

इसी प्रकार पाटन तहसील के सेवा सहकारी समिति सकरा के साईं एग्रो मार्केटिंग वेयरहाउस के प्रभारी अखिलेश यादव और कंप्यूटर ऑपरेटर ललित यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही इस समिति के कमीशन से दस प्रतिशत राशि काटने का निर्णय लिया गया है। वहीं पनागर तहसील के सेवा सहकारी समिति सिगोंद के रामकेश बाबा वेयरहाउस के केंद्र प्रभारी शिवम कुमार बर्मन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अविनाश पटेल द्वारा की गई गड़बड़ी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उपायुक्त सहकारिता को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा सर्वशक्ति संकुल स्तरीय संगठन भिड़ारीकला, सलैया (नर्मदा वेयरहाउस) उपार्जन केंद्र में गड़बड़ियों पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। संस्थाओं के कमीशन से दस प्रतिशत राशि की कटौती का भी निर्णय लिया गया है।

नशे में धुत लिपिक का हंगामा, कुलगुरु से अभद्रता

कुलसचिव ने किया निलंबित थाने में एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। रादुविवि मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने स्थित उद्यान में मंगलवार को शराब के नशे में धुत लिपिक ने जमकर हंगामा किया। कुलगुरू के साथ अभद्रता करते हुए अशोभनीय टिप्पणी कर दी। कुलगुरु ने तत्काल कुलसचिव को मनीष पाण्डेय पर एक्शन लेने निर्देश दिए जिसके बाद तत्काल प्रभाव से लिपिक को निलंबित कर दिया है साथ ही सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम करीब चार बजे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा से विश्वविद्यालय के कर्मचारी मनीष

पाण्डेय (लिपिक) ने मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने स्थित उद्यान में शराब के नशे में धुत होकर अभद्रता कर दी बल्कि अशोभनीय टिप्पणी भी की। इसके पूर्व मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने उद्यान में भी देर तक हंगामा किया गया जहाँ देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। कुलगुरु ने तत्काल कुलसचिव को मनीष पाण्डेय के इस अशोभनीय कृत्य के लिए एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए एवं कुलसचिव द्वारा सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही मनीष को सस्पेंड कर दिया गया है।

पूर्व में भी मचा चुका है उपद्रव

विदित हो कि मनीष पाण्डेय द्वारा पूर्व में भी विश्वविद्यालय के चौकीदारों से नशे में धुत होकर गाली-गलौज की थी जिसकी जाँच चल रही है। इसी प्रकार कार्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठाता में भी डेढ़ वर्ष पूर्व राघवेन्द्र श्रीवास्तव से भी शराब के नशे में मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए गए थे जिसकी जाँच चल रही है। कुलगुरु प्रो. वर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

ऑटो ने रौंदा, युवक की मौत

नवभारत, जबलपुर। मदनमहल थाना अंतर्गत छोटी लाइन फाटक के पास बीती रात ऑटो की टक्कर से घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रदीप यादव पिता गजेन्द्र यादव 44 वर्ष निवासी रामपुर छापर गोरखपुर का बीती रात किसी काम से साइकिल से जा रहा था तभी वासु होटल के सामने छोटी लाइन फाटक के पास ऑटो क्रमांक एमपी 20 जेड डब्ल्यू 4225 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप को गंभीर चोटें आ गई। जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं ऑटो चालक भाग निकला। घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट ने रिपोर्ट पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

नर्मदा घाटों में नहीं चलेगी नाव, भारी वाहनों का ग्वारीघाट में प्रवेश प्रतिबंधित

मकर संक्रांति पर प्रशासन का फैसला, घाटों पर दंडाधिकारी तैनात

नवभारत, जबलपुर। मकर संक्रांति पर्व के दौरान नर्मदा घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 एवं 15 जनवरी को ग्वारीघाट, जिलहरीघाट, तिलवाराघाट, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट एवं सरस्वती घाट में नौका संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय स्नान एवं पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि नर्मदा तट पर बसे गांवों के निवासियों के नियमित परिवहन हेतु संचालित नौकाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा के सभी घाटों पर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की तैनाती की गई है। नर्मदा तटों की समग्र जिम्मेदारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह को सौंपी गई है, जो पूरे आयोजन की निगरानी करेंगे। वहीं भारी वाहनों का ग्वारीघाट में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

यातायात पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान

मां नर्मदा के दर्शन, पूजन एवं स्नान के लिए ग्वारीघाट, तिलवाराघाट और भेड़ाघाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व यातायात पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। ग्वारीघाट क्षेत्र में मेट्रो बसों को छोड़कर सभी भारी व मालवाहक वाहन रामपुर चौक तक ही जा सकेंगे। मेट्रो बसें, ऑटो व आपे भीड़ की स्थिति को देखते हुए रेतनाका, बिग बाजार और ग्रेनेड चौक तक ही संचालित होंगी। मंडला बायपास, तिलहरी तिराहा और नर्मदा पुल की ओर से आने वाले भारी वाहनों का ग्वारीघाट की ओर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग के लिए आयुर्वेदिक संस्थान मैदान और गीताधाम मैदान निर्धारित किए गए हैं। वापसी में वाहन दशहरा मैदान से पुराने रेलवे ट्रैक, रामलला मंदिर तिराहा होते हुए शहर की ओर लौट सकेंगे, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग भी अपनाया जाएगा। वहीं भेड़ाघाट क्षेत्र में सगड़ा बायपास व भेड़ाघाट चौराहे की ओर से आने वाले भारी व मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो बसें व सवारी ऑटो निर्धारित स्थानों तक ही चलेंगी। पार्किंग के लिए भेड़ाघाट पुलिस लाइन मैदान, हरे कृष्ण आश्रम के सामने, जनपद पंचायत परिसर और हेलीपेड मैदान निर्धारित किए गए हैं। तिलवाराघाट क्षेत्र में शहर से आने वाले बड़े व मध्यम वाहन सगड़ा तिराहा से बायपास की ओर मोड़े जाएंगे, जबकि सिवनी की ओर से आने वाले वाहन तिलवारा पुल से शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पार्किंग की व्यवस्था तिलवारा नए पुल के नीचे तथा नवीन थाना के सामने खाली स्थल पर की गई है। यातायात पुलिस ने रामलला मंदिर से झंडा चौक, साकेतधाम और वर्मन मोहल्ला क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने दोपहिया व चारपहिया वाहन सड़क पर खड़े न करें, ताकि पर्व के दौरान यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके।

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

TOLL FREE NO. 1800-266-0018

Hero MotoCorp Ltd, Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - IL. New Delhi - 110070, India. | CIN: L.35911DL1984PLC0173541. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com . Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ~Based on the combined & cumulative dispatch volume of the Splendor range of motorcycles till March 2025. #Internal benchmarking on the basis of data available in public forums for 100cc segment bikes in India. Hero MotoCorp reserves the rights to modify or withdraw any or all the offers without prior notice. #Ex-showroom price of SPLENDOR+ XTEC 2.0 DRUM BRAKE in Madhya Pradesh.

अधिकृत डीलरः जबलपुर: सुपर हीरो (साउथ सिविल लाईन्स) 9289922350, सुदर्शन हीरो (नेपियर टॉउन 9289922353, मदन महल 9111100352, दमोह नाका 9111100344), बालाघाट: जायसवाल हीरो 9289922572, छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, मण्डला: शुभा हीरो 9289922600, नरसिंहपुर: रचना हीरो 9289922377, रीवा: बद्रिका हीरो (टी.पी. नगर 9752263333, इलाहाबाद रोड 9171705391), सतना: स्टार हीरो 9289922356, बद्रिका हीरो 9289923108, शहडोल: विभोर हीरो 9289923109, गुप्ता हीरो 9289922370, कटनी: हर्ष हीरो 9289923166, वैढ़न: कुन्दन हीरो 9289922743, बजरंग मोटर्स 7354559000, सीधी: राजेन्द्र मोटर्स 9289923113, सिवनी: सुदर्शन हीरो 9821745435, चौरई: श्रीजी ऑटोमोबाईल्स, 9821749342, दमोहः इण्डिया ऑटो हीरो 9289922573, एसोशिएट डीलरः पथरिया: एसएस ऑटोमोबाइल्स, 9691147568, सेमरिया: आकाश मोटर्स 9893918358, अमरवाड़ा: अर्पित ऑटोमोबाईल्स 7428595943, ब्यौहारी: श्री राम ऑटोमोबाईल्स 9424683246, बुड़हार: श्री ऑटोमोबाईल्स 9425181937, डिंडोरी: अवधिया ऑटो 8959777333, नैनपुर: स्वास्तिक मोटर्स 9893746172, गाडरवाड़ा: शेखर व्हीकल्स 9425467409, जुन्नारदेव: लक्ष्मी नारायण मोटर्स 8109164000, कोतमा: सिटी ऑटोमोबाईल्स 7987519546, मैहर: वैशाली ऑटोमोबाईल्स 9424741022, मउगंज: सेंगर मोटर्स 9425185568, लांझी: श्रीखण्ड ऑटोमोबाईल्स 7428390262, पांडुरना: जय भवानी ऑटोमोबाईल्स 7428390263, परासिया: श्री महावीर ऑटोमोबाईल्स 7354460008, रामपुर बघेलान: साँई ऑटोमोबाईल्स 9993224296, रांझी: गुरुकृपा ऑटो 9424728007, सिहोरा: बाईक प्वांट 9826802730, उमरिया: गुप्ता ऑटो एजेन्सी 9285505630, वारासिवनी: रुसिया मोटर्स 9425822392, मुलताई: शारदा श्री मोटर्स 9522870001, चितरंगी: ओम मोटर्स 9685416118, बरगवां: बजरंग मोटर्स 9926183734, बहरी: श्याम एजेंसी 9981238133, बरही: अजीत ऑटोमोबाइल्स 7566217410, 9131739086, अनूपपुर: बाल गोविंद ऑटोव्हील्स 9770531138, 9770744844, नागोद: चौरसिया ऑटोमोबाइल्स 9926365074, देवसर: श्री राम मोटर्स 9425086868 अमरपाटन : रिशु ऑटोमोबाइल्स 9893829195, स्लीमनाबाद: अनिल मोटर्स 9425466101, रामनगर: विजय ऑटोमोबाईल्स 9893252517, धनोरा: भवानी व्हीकल्स 9424950703, सरई: यश मोटर्स, 9981718853, सालीचौका: अभिषेक इंटरप्राइजेज 8989434793, उंचेहरा: अंकुर ऑटोमोबाइल्स, 7999328251, गढ़: अंबे मोटर्स, 9752666969, गुन्नौर: मधुबन मोटर्स, 8959050501, मड़वास: ओम मोटर्स, 9009066959, मझौली: न्यू कुन्दन ऑटोमोबाइल्स, 9584628677, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, नरसिंहपुर: रचना हीरो 8815396340, दमोह : इंडिया ऑटो सेंटर 8839230079.

RS/Hero/06/25

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57